


राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)()डीएलबी / 17/22437

दिनांक: 04/11/19

संशोधित आदेश


विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 19205 दिनांक 29.07.19 द्वारा श्री अशोक मारू, एडवोकेट को नगर निगम बीकानेर में विधि सलाहकार/पैनल लॉयर नियुक्त किया गया है। विभागीय आदेश क्रमांक 19205 दिनांक 29.07.19 में क्रम संख्या 02 पर अंकित श्री अशोक मारू के स्थान पर श्री अशोक कुमार मारू पढ़ा जावे।


(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)()डीएलबी / 17/22438-46 दिनांक: 04/11/19
प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर।
05. महापौर/आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर।
06. श्री अशोक कुमार मारू, एडवोकेट मार्फत, नगर निगम बीकानेर।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी